भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या–5095

उत्तर देने की तारीख़-03/04/2023

समग्र शिक्षा योजना का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाने के लिए उन्नयन

†5095. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:

श्रीमती अपराजिता सारंगी:

श्री प्रताप चंद्र षडङ्.गी:

श्री पी.पी. चौधरी:

श्री संगम लाल गुप्ता:

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

श्री बृजभूषण शरण सिंह:

श्री अनुराग शर्मा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाने के लिए उसका उन्नयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) समग्र शिक्षा योजना के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) घटक के अंतर्गत अब तक क्या कार्य किए गए हैं; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कार्य किए गए हैं/उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2018-19 से स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा शुरू की है। इस योजना को अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के साथ नया रूप दिया गया है और 2025-26 तक जारी रखा गया है । इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि,

बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाएं।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं: (i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की सिफारिशों को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग करना; (ii) नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग करना; (iii) प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना; (iv) मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर जोर देना; (v) छात्रों के बीच 21 वीं सदी के कौशल प्रदान करने के लिए समग्र, एकीकृत, समावेशी और गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र पर जोर; (vi) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना (vii) स्कूली शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतर को पाटना; (viii) स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेश सुनिश्चित करना; (ix) शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषदों (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षा संस्थानों और शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए जिला संस्थानों (डाइट) को शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सुदृढ़ीकरण और उन्नयन; (x) सुरक्षित, संरक्षित और अनुकूल अधिगम का माहौल सुनिश्चित करना तथा स्कूली शिक्षा प्रावधानों में मानकों का रखरखाव और (xi) व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

- दीक्षा (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा है और इसमें सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोडिड सक्रिय पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं।
- कक्षा 1 से 12 तक प्रति कक्षा एक स्वयंप्रभा टीवी चैनल (एक कक्षा, एक चैनल)
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट - शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग
- दृष्टिबाधित और श्रवण बाधितों के लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डीएआईएसवाई) और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में विकसित विशेष ई-कंटेंट

(घ): ग्रामीण क्षेत्रों सहित समग्र शिक्षा के अंतर्गत किए गए कार्य/उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क्रियाकलाप	**उपलब्धियां * (वर्ष 2018-19 से 2022-23)**
अपग्रेड किए गए स्कूलों की संख्या	1826
नए आवासीय विद्यालय / छात्रावास	125
अतिरिक्त कक्षाओं सहित स्कूलों का सुदृढ़ीकरण	80154*
स्मार्ट स्कूलों सहित आईसीटी और डिजिटल पहल के तहत कवर किए गए स्कूल	49369

व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले स्कूल	7449
कक्षा 8 से 10 तक केजीबीवी में अपग्रेड स्कूलों की संख्या	322
कक्षा 8 से 12 तक केजीबीवी में अपग्रेड स्कूलों की संख्या	1303
लड़कियों के लिए अलग शौचालयों का निर्माण	18089
*वित्त वर्ष 2018-2019 से वर्ष 2022-2023 तक पूर्ण हुआ कार्य	

**28 फरवरी, 2023 तक*

क्रियाकलाप	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-2023***
प्राथमिक स्तर पर ओओएससी के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए गए	4.78 लाख	5.07 लाख	3.26 लाख	8.61 लाख	2.22 लाख
परिवहन और एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान किए गए बच्चों की संख्या	4.24 लाख	6.78 लाख	2.42 लाख	6.66 लाख	7.88 लाख
आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत बच्चों को कवर किया गया	16.76 लाख	21.58 लाख	32.67 लाख	25.40 लाख	20.80 लाख
मुफ्त वर्दी	6.96 करोड़	6.89 करोड़	6.57 करोड़	6.15 करोड़	6.48 करोड़
मुफ्त पाठ्यपुस्तकें	8.72 करोड़	8.78 करोड़	8.84 करोड़	9.44 करोड़	7.27 करोड़
उपचारात्मक शिक्षण	74.4 लाख	1.76 करोड़	1.44 करोड़	1.23 करोड़	2.99 करोड़
शिक्षक प्रशिक्षण	14.15 लाख	29.13 लाख	14.44 लाख	26.66 लाख	4.83 लाख
स्कूलों की संख्या जिनमें बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया	69173	166528	83021	119283	102979
सीडब्ल्यूएसएन लड़कियाँ वजीफा प्राप्त	3.79 लाख	3.22 लाख	3.68 लाख	4.02 लाख	2.45 लाख
वित्तपोषित विशेष शिक्षक	23183	24030	23331	25999	21843

*28 फरवरी, 2023 तक

****